

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 2]

नई दिल्ली, जनवरी 24—जनवरी 30, 2016, शनिवार/माघ 4—माघ 10, 1937

No. 2]

NEW DELHI, JANUARY 24—JANUARY 30, 2016, SATURDAY/MAGHA 4—MAGHA 10, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2016

का.नि.आ. 2.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नौसेना समूह 'घ' (प्रकीर्ण अनौद्योगिक) पदों

- (i) भर्ती नियम, 1987 जहां तक उनका संबंध प्रधान माली, माली, बेकर, तलाशी-महिला, नाई और रसोइया के पद से है;
- (ii) भर्ती नियम, 1981 जहां तक उनका संबंध ड्रेस्सर (चयन श्रेणी), ड्रेस्सर, चिकित्सा परिचर, वार्ड सहायिका, धोबी, वार्ड बाय और मसालची के पद से है;
- (iii) भर्ती नियम, 2000 जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला परिचर से है;
- (iv) भर्ती नियम, 1979 जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला वाहक से है;

को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), एकीकृत मुख्यालय, में समूह 'ग' बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (अनौद्योगिक) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), समूह 'ग' पद (अनौद्योगिक) बहुकार्य कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 2016 है।
- (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना :- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि :- भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरईता :- वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसची

पद का नाम		पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द (अर्थ प्रधान माली माली तलाशी-महिला नाई ड्रेसर (एस जी) ड्रेसर चिकित्सा परिचर बार्ड सहायिका धोबी बार्ड बाय मसालची प्रयोगशाला परिचर	(03 पद) (03 पद) (29 पद) (03 पद) (23 पद) (02 पद) (10 पद) (02 पद) (92 पद) (95 पद) (01 पद) (01 पद) (03 पद) (08 पद)	273* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनौद्योगिक	वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1800	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	जाने वाले व्यक्तियों के	की अवधि, यदि कोई	भतीं की पद्धित भतीं सीधे होगी य प्रोन्नित द्वारा य प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6) आयु 18 से 25 वर्ष के बीच	(7)	(8)	(9)	(10)
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के तद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार रीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	मेट्रिकुलेशन; संबन्धित व्यवसाय में प्रवीणता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणः विनिर्दिष्ट व्यवसाय कौशल प्रत्येक भर्ती के समय पर अधिसूचित किया जाएगा
टेप्पण 2:- रोज़गार कार्यालय के माध्यम से आने वाले भ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए नेर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक ज़गार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।				

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जेनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
	(12) समूह 'ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. कमांडर की पंक्ति का अधिकारी या संबंधित कमान मुख्यालय के समतुल्य पंक्ति के सिविलियन अधिकारी - अध्यक्ष 2. लेफ्टीनेंट कमांडर पंक्ति के दो अधिकारी या संबंधित कमान मुख्यालय के समतुल्य पंक्ति के सिविलियन अधिकारी - सदस्य	(13) लागू नहीं होता।

[फा.सं. सी.पी.(एनजी)/2825/एम टी एस (अनौ)/भर्ती नियम/401/डी(नियुक्तियां)/2016] अनिल कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st January, 2016

S.R.O. 2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Navy Group 'D' (Miscellaneous Non-Industrial) posts,

- (i) Recruitment Rules, 1987 in so far as they relate to the posts of Head Mali, Mali, Baker, Woman Searcher, Barber and Cook;
- Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the posts of Dresser (Selection Grade), Dresser,
 Medical Attendant, Ward Sahaika, Dhobi, Ward Boy and Masalchi;
- (iii) Recruitment Rules, 2000 in so far as they relate to the posts of Laboratory Attendant;
- (iv) Recruitment Rules, 1979 in so far as they relate to the posts of Laboratory Bearer.

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to these Group 'C' Multi Tasking Staff (Non-Industrial) posts in Integrated Headquarters, Ministry of Defence(Navy) namely:-

Short title and commencement:-

- (i) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'C' posts, (Non-Industrial) Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application:- These rules shall apply to the posts specified in Column(1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale: The number of the posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.:- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Disqualification:- No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 - shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax:-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-	Age limit for direct recruits
dense dense	305		300.77	selection post	MALE SET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff (Non-Industrial) Head Mali (03 posts) Mali (29 posts) Woman Searcher (03 posts) Barber (23 posts) Dresser (10 posts) Medical Attendant (02 posts) Dhobi (95 posts) Mard Boy (02 posts) Masalchi (01 post) Laboratory Attendant (03 posts) Laboratory Bearer (08 posts)	(2) 273* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	(3) General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Industrial.	(4) Pay band-1, Rs.5200- 20200 plus grade pay Rs.1800		Between 18 and 25 years of age (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or the Lakshadweep). Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment

Educational and other qualifications required for direct recruits	qualifications prescribed for	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation; Proficiency in relevant trade	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: The specific trade skills shall be notified at the time of each recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: -	Not applicable.
	Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command Headquarters	
	Command Headquarters - Members	100

[F. No. CP(NG)/2825/MTS(Non-Ind)/RR/401/D(Apptts)/2016]
ANIL KUMAR, Dy. Secy.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation; Proficiency in relevant trade	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: The specific trade skills shall be notified at the time of each recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command	Not applicable.
	Headquarters - Chairman 2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officers of equivalent rank of respective Command Headquarters - Members	

 $[F.\ No.\ CP(NG)/2825/MTS(Non-Ind)/RR/401/D(Apptts)/2016]$ $ANIL\ KUMAR,\ Dy.\ Secy.$